एलिवेटेड ब्रिज वाले 6 किलोमीटर हिस्से को छोड़ा, 4.5 किमी क्षेत्र में होगा निर्माण

बीआरटीएस की रैलिंग हटाई, डिवाइडर निर्माण शुरू

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बीआरटीएस कॉरिडोर पर सेंट्रल डिवाइडर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। एक टेंडर निरस्त किए जाने के बाद शेष दो टेंडरों के तहत गुरुवार से खुदाई का काम प्रारंभ किया गया। शुरुआत में चंद्रनगर चौराहे से विजयनगर की ओर भमोरी चौराहे तक बीआरटीएस पर सेंट्रल डिवाइडर निर्माण के लिए खुदाई का काम किया जा रहा है। यहां

बीआरटीएस की रैलिंग हटा दी गई है।

लगभग तीन फीट चौड़ा और चार फीट ऊंचा सेंट्रल डिवाइडर बनाया जाएगा। फिलहाल करीब 600 मीटर के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

एलिवेटेड ब्रिज के कारण योजना में बदलाव- नगर निगम जनकार्य विभाग के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर ने बताया कि 11 किमी लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जालियां हटाने का कार्य एक साइट पर पूरा किया गया था। यातायात जाम की समस्या को देखते हुए सेंट्रल डिवाइडर बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसी बीच चंद्रनगर चौराहे से नौलखा चौराहे तक करीब 6 किमी लंबा एलिवेटेड ब्रिज बनाने की योजना सामने आने पर संबंधित हिस्से के डिवाइडर निर्माण का टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब एलिवेटेड ब्रिज और फ्लाईओवर के हिस्से को छोड़कर शेष करीब 4.5 किमी क्षेत्र में डिवाइडर बनाए जाएंगे।

जाम से मिलेगी राहत

वर्तमान में सेंट्रल डिवाइडर नहीं होने के कारण शाम के समय सिग्नल पर बड़ी संख्या में वाहन जमा हो जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। कई बार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना की आशंका भी बढ़ा देते हैं।

> एलिवेटेड ब्रिज निर्माण की योजना के कारण कार्य में देरी हुई, लेकिन अब शेष हिस्से में काम शुरू कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
> - **राजेंद्र राठौड़**, जनकार्य प्रभारी

बीते साल देश में तीसरे स्थान पर रहा इंदौर एयरपोर्ट

त्रैमासिक रैंकिंग में नीचे खिसका, लेकिन सालाना रैंकिंग में बेहतर हुई स्थिति

नवीन यादव • इंदौर
मो.नं. 9584691000

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) के वर्ष 2025 के सर्वे में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने देशभर के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के अधीन हवाई अड्डों में तीसरा स्थान हासिल किया है। इंदौर को इस सर्वे में 4.92 अंक प्राप्त हुई है, जो वर्ष 2024 में मिली 4.82 अंक से 0.10 अंक अधिक है।

प्रबंधन के अनुसार एएआई द्वारा शुक्रवार को जारी परिणाम के अनुसार इंदौर के बीते साल की अपनी सुविधाओं के आधार पर यह रैंकिंग प्राप्त की है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया और अनुभव के आधार पर तैयार की गई इस रैंकिंग में इंदौर एयरपोर्ट ने सेवा गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ व्यवहार और समयबद्ध संचालन जैसे मापदंडों पर शानदार प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि इंदौर ने कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए देश में शीर्ष तीन में अपनी जगह बनाई। सर्वे के अनुसार, पुणे एयरपोर्ट पहले और गोवा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इंदौर तीसरे स्थान पर रहा। इंदौर एयरपोर्ट का प्रदर्शन न केवल एएआई के औसत स्कोर से बेहतर रहा, बल्कि यह विश्व औसत से भी काफी ऊपर दर्ज किया गया।

और बेहतर बनाएंगे

एयरपोर्ट प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुविधाओं पर निरंतर ध्यान, बेहतर संचालन व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष फोकस के चलते यह सफलता मिली है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने तथा देश में शीर्ष स्थान तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

यह है बीते साल के टॉप 10 एयरपोर्ट और उनके अंक

1.	पुणे	4.94
2.	गोवा	4.93
3.	इंदौर	4.92
4.	वाराणसी	4.91
5.	कोलकाता	4.90
6.	चेन्नई	4.90
7.	देहरादून	4.88
8.	रायपुर	4.86
9.	त्रिची	4.85
10.	भुवनेश्वर	4.85

शहर में अवैध रूप से संचालित हॉस्टलों पर निगम की सख्ती

महापौर के कड़े संदेश के बाद निपानिया में पहली कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

शहर में अवैध रूप से संचालित और निर्माणाधीन हॉस्टलों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। वार्ड 74 में आयोजित संकल्प से समाधान अभियान की जनता चौपाल के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मुद्दे पर स्पष्ट चेतावनी दी थी, जिसके बाद निगम अमला सक्रिय हो गया है।

चौपाल में महापौर ने कहा कि जो लोग बिना अनुमति के कहीं भी हॉस्टल बनाकर मनमानी करना चाहते हैं, वे यह विचार त्याग दें। यदि कोई अवैध हॉस्टल निर्माण करता पाया गया तो निगम तत्काल उसे ध्वस्त कर देगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में पहले से हॉस्टल संचालित हैं, वहां स्वच्छता और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित संचालकों की होगी। गली में कचरा मिलने या गलत पार्किंग की शिकायत पर सीधे हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों की शिकायतों पर निर्णय

जनता चौपाल में बड़ी संख्या में रहवासियों ने शिकायत की कि कई स्थानों पर बिना वैध अनुमति के हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम, पार्किंग अव्यवस्था और स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

निपानिया में अवैध हॉस्टल ध्वस्त

घोषणा के तुरंत बाद नगर निगम की टीम ने निपानिया क्षेत्र में एक अवैध निर्माणाधीन हॉस्टल को तोड़ने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में नियमों के विरुद्ध कोई भी निर्माण या संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

GRIHUM HOUSING FINANCE Apna Ghar. Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014/शाखा ऑफ यूनिट : पहली मंजिल, विक्रम टॉवर, महू-नीमच रोड, पीथमपुर - 454775/ धन ट्राइडेंट, मंगल सिटी सर्विस रोड, स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010

ई-नीलामी - बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, सुरक्षित ऋणदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है।

संपत्तियाँ 17/03/2026 को ई-नीलामी के माध्यम से "जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएँगी। आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

स. क्र	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {A}	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि {B}	कब्जा की प्रकृति {C}	संपत्ति का विवरण {D}	आरक्षित मूल्य {E}	ईएमडी (आरपी का 10%) {F}	ईएमडी जमा करने की तिथि{G}	वृद्धिशील बोली {H}	संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय {I}	नीलामी की तिथि और समय {J}	ज्ञात भार/ अदालती मामले यदि कोई हो {K}
1	Loan No. HL00629100000005025591, शुभम विश्वकर्मा (ऋणकर्ता) उमा बाई विश्वकर्मा (सह-ऋणकर्ता)	नोटिस की तिथि: 08-08-2025 कुल देय राशि: 923155/- रुपये (नौ लाख तेईस हजार एक सौ पचपन रुपये मात्र) जो 08-08-2025 तक देय है, साथ ही वसूली तक 13.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।	भौतिक	रॉयल स्टेट कॉलोनी, गांव व्होगांव, तहसील महू, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित आवासीय प्लॉट संख्या 216-बी का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट। सीमाएँ: पूर्व-प्लॉट संख्या 216 (216-ए) का शेष भाग, पश्चिम-कॉलोनी प्लॉट संख्या 217, उत्तर-कॉलोनी रोड, दक्षिण-कॉलोनी प्लॉट संख्या 209 क्षेत्रफल-10 फुट x 50 फुट कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट।	Rs. 673750.00/- रुपये (छह लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये मात्र)	Rs. 67375.00/- सड़सठ हजार तीन सौ पचहत्तर	16-03-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	11-03-2026 (11AM - 4PM)	17-03-2026 (11AM-2PM)	शून्य
2	Loan No. HF0615H21100159 & HF0135H20101440 राजेश सेन (ऋणकर्ता) पार्वती सेन (सह-ऋणकर्ता) राजू सेन मनोज सेन	नोटिस की तिथि: 09-07-2025, कुल देय राशि: 2254668/- रुपये (बाईस लाख चौवन हजार छह सौ अड़सठ रुपये मात्र), जिसमें HF0615H21100159 में देय 946137.00/- रुपये और HF0135H20101440 में देय 1308531/- रुपये शामिल हैं, जो 09-07-2025 तक देय हैं, साथ ही क्रमशः 12.1% और 12.85% की दर से ब्याज भी शामिल है, जो भुगतान होने तक देय है।	भौतिक	इंदौर के तहसील व्हो, सुतारखेड़ी गांव में स्थित गिरनार ओबीवाई-02 के प्लॉट नंबर 104 का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 650 वर्ग फुट है। प्लॉट की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में प्लॉट नंबर 92, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में प्लॉट नंबर 105, दक्षिण में प्लॉट नंबर 103	Rs. 1922375/- (केवल उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये)	Rs. 192237.50/- रुपये एक लाख बानवे हजार, दो सौ सैंतीस और पचास पैसे	16-03-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	11-03-2026 (11AM - 4PM)	17-03-2026 (11AM-2PM)	शून्य
3.	Loan No. HL00629100000005018982 पूनम चंद्र (ऋणकर्ता) सुधा सौनेर (सह-ऋणकर्ता)	नोटिस की तिथि: 08-08-2025 कुल देय राशि: 804958/- रुपये (आठ लाख चार हजार नौ सौ अट्ठावन रुपये मात्र), जो 08-08-2025 तक देय है, साथ ही 13.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है, जब तक कि भुगतान नहीं हो जाता।	भौतिक	ब्रजधाम में स्थित अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका चित्र संख्या 33/ए है, सर्वेक्षण संख्या 40/1/2, ग्राम कालियोलौद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। भूमि के भूखंड का क्षेत्रफल 320 वर्ग फुट है और इसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं: मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पूर्व दिशा में भूखंड संख्या 39/40, पश्चिम दिशा में सड़क, उत्तर दिशा में भूखंड संख्या 32 और दक्षिण दिशा में भूखंड संख्या 33/बी	Rs.638400/- रुपये (छह लाख अड़तीस हजार चार सौ रुपये मात्र)	Rs. 63840/- तिरसठ हजार आठ सौ चालीस	16-03-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	11-03-2026 (11AM - 4PM)	17-03-2026 (11AM-2PM)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोलियाँ जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट करें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बकाया और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाए और चुकाए जाएँगे।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26। सहायता ईमेल आईडी - Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति - धरनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1india.com संपर्क संख्या- 9948182222. कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता" में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। खाता संख्या-091551000028 और IFSC कोड- ICIC0000915, ICICI बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 16/03/2026 को या उससे पहले निकाला गया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई-मेल करने और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजने की आवश्यकता होती है: पता : धन ट्राइडेंट, मंगल सिटी सर्विस रोड, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010 मोबाइल नंबर। +918281138143 ई-मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com & www.grihumhousing.com पर जाएँ।

इस सूचना को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को 30 दिनों का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

स्थानीय भाषा में प्रकाशित सामग्री और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री में कोई अंतर हो, तो फ्री प्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

स्थान : इन्दौर, दिनांक 14.02.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,